राजस्थान सरकार

2024/127

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीर दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111—128	72/24	20/3/2024	DAte 01/5/24	4/4/2024

अनवान

श्री नाराण S/o हरजी जाति खटीक

निवासी बिजौलिया कलां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री मुकेश कुमार धाकड़

श्री मांगीलाल S/o नन्दा खटीक

निवासी खटीक मोहल्ला बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

नाराण बनाम गंगीलाल

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 72/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/3/2024	प्रार्थना पत्र सीधे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 5/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
5/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित आ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
01/05/24	पत्रावली पेश हुरी। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध आदेश/निर्णय पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित करके, तहसीलदार बिजौलिया को भेजा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 72 / 2024 तारीख दायर 20/03/24

नाराण पुत्र हरजी जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नन्दा खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मौहल्ला बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मदन पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी चारण माता मंदिर के पास बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कालु पुत्र मोतिलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राघेश्याम पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी पथवारी के पास बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम** बिजौलियांकला **पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 406 पर अंकित आराजी संख्या 2041/1657 कुल किता 1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त मौजा ग्राम** बिजौलियांकला **पटवार हल्का बिजौलिया** कलां तहसील **बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 406 पर अंकित आराजी संख्या 2041/1657** कुल किता **1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (भीलवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 72 2024 तारीख दायर 20/3/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 72 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

नाराण पुत्र हरजी जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नंन्दा खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मौहल्ला बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मदन पुत्र नंन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी चारण माता मंदिर के पास बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कालु पुत्र मोतिलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राघेश्याम पुत्र नंन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी पथवारी के पास बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम** बिजौलियांकला **पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 406 पर अंकित आराजी संख्या 2041/1657 कुल किता 1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस 500/– रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ